रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234825
CG-DL-E-04042022-234825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1506] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
No. 1506] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

का.आ. 1567(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है;

और, सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना सं.एफओआर.32/आईएनडी-1/82/17706-45 तारीख 19 जुलाई, 1982 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था;

और, सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में उपलब्ध स्वदेशी आर्किडों के लिए जाना जाता है। अभयारण्य आर्किडों के सुरक्षा, संरक्षण और यथास्थान आर्किडों के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह अभयारण्य में पाए जाने वाली वन्यजीव का संरक्षण और समृद्ध जैव विविधता में भी मदद करता है;

और, सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य में ऊपर और मध्य खण्ड में महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां टर्मिनेलिया मायरियोकार्पा (हॉलॉक), फोबे गोलपेरेंसिस (बोनसम), अमोरा वाल्लिची (अमारि), ऐलेन्थस ग्रैंडिस (बोरपट), एलस्टोनिया स्कोलारिस (सतिआना), पटेरोस्पर्मम एसिरिफोलियम (हाटिपोइला), आर्टोकार्पस चपलासा (समकथल), मेसुआ फेरिया (नाहर), मिशेलिया चंपाका (टिटासोपा), अल्टिंगिआ एक्सेला (जुटुलि), मैगनोलिया स्पीसिज़ (सोपा), चक्रासिया टेबुलारिस (बोगिपोमा), टूना सिलिआटा (पोमा), स्टरकुलिआ विलोसा (उदल), कास्टेनोप्सिस स्पीसिज़ (हिंगोरी), टर्मिनेलिया चेबुला (हिलिका), कैनेरियम रेसनिनिफेरम (धूना), सिन्नामोमम सेसिकोडाफने (गोनसोरोइ), गमेलिना अर्बोरिया (गामारि), कीडिया कैलीसिना (पिचोला), टर्मिनेलिआ बेलेरिका (बोहेरा), आदि पाए जाते हैं;

और, सेसा आर्किड अभयारण्य में विद्यमान मध्य खण्ड से संबंधित सामान्य वनस्पति और झाड़ झखाड़ो में डिलिनिया इंडिका (ओटेन्गा), सीज़ीगियम कूमिनि (जामुन), अल्बिजिआ लूसिडा (मोज), लागेस्ट्रोइमिआ स्पीसिज़ (अजार), बिस्कोफिआ जावानिका (उरियम) आदि, क्लेरोडेंड्रम विस्कोसम, लापोर्टिआ स्पीसिज़, कोस्टस स्पीसिज़, यूपेथोरियम ओडोरेटम, कॉफ़ीआ बैंगलेंसिस, एल्पिनिया स्पीसिज़, एज़ेराटम कोनिज़ोइडीस, हिबिस्कस कैन्नाबिनस, पॉलीगोनम चिनेंसिस, ऑक्सीस्पोरा पानिकुलाटा, फ़िलेंथस स्पीसिज़, सोलानम टोरीयम, आदि शामिल हैं;

और, क्षेत्र में मुख्य जीवजंतु में मकाका मुलाट्टा (रीसस मैकाक), मकाका एसामेंसिस (एसामेसे मकाक), ट्रेचपिथेकस पिलेटस (कैप्ड लंगूर), मुंटियाकस मंटजेक (मुंजक या भारतीय मंटजेक), सर्वस यूनिकलर (सांबर), नैमोरहेडस सूमात्रानसिस (सीरो), सस स्क्रोफा (बनैला सूअर), एलीफास मैक्सिमस (एशियाई हाथी), उर्सस थिबिटानुस (एशियाई काला भालू), कुओन अल्पाइनस (जंगली कुत्ता), पैंथरा टिग्रिस (बाघ), पैंथर पार्डस (सामान्य तेंदुआ), नियोफेलिस नेबुलोसा (लमचित्ता), पार्डोफेलिस मार्मोराटा (मार्बल्ड कैट), फेलिस चौस (जंगली कैट), प्रिओनैलुरस बेंगालेंसिस (लैपर्ड कैट), प्रियोनैलुरस विवेरिनस (फिशिंग कैट), मेलोगेल पर्सोनाटा (फेरेट बैजर), पैराडाक्सुरस हेर्मैफ्रोडाइट्स (सामान्य मुसंग), मार्टेस फ्लेविगुला (येलो थ्रोटेड मार्टन), हर्पेस्टेस जावानिकस (स्मॉल एशियन मोंगूस), हार्पेस्टेस एडवर्ड्सि (ग्रे मोंगूस), मानिस पेंटाडैक्टीला (चाईनीज़ पैंगोलिन), यूरोसैप्टर मिकरुरा (मोल), हीस्ट्रिक्स ब्राचयुरन (हिमालय क्रेस्टलेस स्क्वेरील), रतुफा बाईकलर (मालायन जाईंट स्क्वेरील), कालोससियुरस पाइगेरीथ्रस (होरी बेलिड हिमालयन स्क्वेरील), कालोससियुरस एरीथ्रायस (पलास स्क्वेरील), ड्रेमोमीस्लोक्रिया (ऑरेंज-बेलिड हिमालयन स्क्वेरील), मुस पहाड़ी (सिक्किम माउस), माइक्रो और मेगा काइरोप्टेरा समूह के चमगादड़ आदि पाए जाते हैं;

और, सेसा आर्किड के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य (0) से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 0 से 1 किलोमीटर होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन 16.9237 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में निम्न रुप से है:

दिशाएं	विस्तार
उत्तर	0.50 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	0.50 किलोमीटर
पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	0
दक्षिण	0
दक्षिण-पश्चिम	0
पश्चिम	0
उत्तर-पश्चिम	0

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार दक्षिणी और पश्चिमी दिशा पर शून्य है और इसके ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ लगा हुआ है।

(2) सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक –I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र अनुलग्नक –IIक, अनुलग्नक –IIख, अनुलग्नक –IIग और अनुलग्नक –IIघ के रूप में संलग्न हैं।

(4) सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक -III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिसे राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगी, अर्थात्:-

I. पर्यावरण;

II. वन और वन्यजीव;

III. कृषि;

IV. राजस्व;

V. शहरी विकास;

VI. पर्यटन;

VII. ग्रामीण विकास;

VIII. सिचांई और बाढ़ नियंत्रण;

IX. नगरपालिका;

X. पंचायती राज; और

XI. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और वर्तमान एवं प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत**.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि

की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थ**ल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएंगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अप**शिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा** अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्र**बंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्र**बंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशि**ष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात**.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण**.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईका**इयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का सं**रक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी, समय-समय पर संशोधित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी

		कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्म की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
9.	ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना निषिद्ध है।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से

		संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियोंयमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों नि , के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियोंनियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों , के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और

	निस्सारण ।	पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलीथिन बैग के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, निर्दिष्ट आवश्यकता के आधार पर, इसे लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
30.		
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा। ,
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति**.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामत:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	उपायुक्त, पश्चिम कामेंग जिला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश	अध्यक्ष;
(ii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (विरासत संरक्षण सहित) का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(iii)	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(iv)	शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, पश्चिम कामेंग जिला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य;
(v)	लोक निर्माण विभाग, पश्चिम कामेंग जिला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	ग्रामीण निर्माण विभाग, पश्चिम कामेंग जिला, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	संभागीय वनाधिकारी, सेसा आर्किड अभ्यारण्य, सेसा के खेललोंग वन प्रभाग के प्रभारी	सदस्य- सचिव।

6. **निर्देश निबंधन**:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय**.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि**.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/8/2021-ईएसजेड]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

अनुलग्नक – I

सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
उत्तर	बिंदु चेकु तेंगा सड़क ऊचांई 2781 में नामित ईगलनेस्ट से आरंभ होकर जाती है सड़क चेकु तेंगा सड़क (जी आर 891443 में) में बिंदु 68 किलोमीटर तक उत्तर की ओर जाती है जहां सहायक नदी जी आर 900459 में दोगोंगखो के साथ संगम है। इसके बाद दोगोंगखो नाला के ऊपरी धारा प्रवाह तक यह जी आर 919445 में स्त्रोत तक अन्य अज्ञात धारा प्रवाह के साथ संगम है। इसके बाद सीमा जी आर 920445 में दजी नाला की सहायक नदी के स्त्रोत तक 200 मीटर की दूरी से लगभग 90' कृत्रिम सीधी रेखा की ओर जाती है। इसके बाद जी आर 966453 में बोम्डीलाभालुपोंग सड़क पर पुल तक सहायक नदी और दीजी नाला के नीचे की ओर जाती है। इसके बाद 'ओ' बिंदु तक पूर्व की ओर बोम्डीलाभालुपोंग सड़क के साथ जाती है जो कि सेप्पा सड़क का जंक्शन बिंदु है।
पूर्व	इसके बाद बोम्डीला, भालुपोंग सड़क में दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है यह जी आर 956425 में सेस्सा नाला की सहायक नदियों को पार करके जाती है। इसके बाद यह सहायक नदियों के निचली धारा प्रवाह के साथ यह सेस्सा नाला के साथ संगम है। इसके बाद सीमा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से लगभग 180° के कृत्रिम सीधी रेखा जाती है यह जी आर 979390 में भालुपोंग बोम्डीला सड़क को पार करके जाती है।
दक्षिण	इसके बाद सड़क जी आर 740383 तक पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद सीमा लगभग 4.7 किलोमीटर की दूरी से लगभग 225° कृत्रिम सीधी रेखा जाती है जो कि टीपी नाला की सहायक नदी के संगम तक है यह जी आर 829382 का स्त्रोत है। इसके बाद 0.75 किलोमीटर की दूरी से लगभग 315° की कृत्रिम सीधी रेखा है जो कि जी आर 825385 में चाकु तक है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व की ओर चाकु तेंगा सड़क के साथ जाती है जो कि आरंभिक बिंदु तक है।

सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी सीमाएं :-

सेसा आर्किड अभयारण्य की उत्तर पश्चिमी सीमा से आरंभ होकर, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा भू-निर्देशांक 270 7’ 59.82” उ एवं 920 27’ 37.92” पू में बिंदु से आरंभ होती है, भू-निर्देशांक 270 8’ 11.95” उ एवं 920 27’ 11.62” पू में बिंदु तक 500 मीटर दोगोंग खा (नदी) के स्त्रोत पश्चिम की ओर जाते है, सेसा आर्किड अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तर पश्चिम सीमा पर इसके बाद निम्नलिखित भू-निर्देशांक 270 8’ 29.55” उ एवं 920 27’ 50.72” पू, 270

8’ 49.12” उ एवं 920 28’ 11.14” पू, 270 9’ 44.36” उ एवं 920 28’ 45.80” पू, 270 10’ 19.48” उ एवं 920 29’ 31.20” पू, 270 6’ 30.64” उ एवं 920 31’ 4.03” पू, 270 9’ 41.99” उ एवं 920 32’ 44.98” पू, 270 10’ 1.43” उ एवं 920 33’ 49.15” पू, 270 9’ 53.69” उ एवं 920 35’ 9.60” पू तक उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद भू-निर्देशांक 270 9’ 55.29” उ एवं 920 34’ 49.71” पू में सेसा आर्किड अभयारण्य की सीमा तक 500 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद निम्नलिखित भू-निर्देशांक 270 9’ 44.37” उ एवं 920 33’ 48.16” पू, 270 9’ 25.28” उ एवं 920 32’ 46.02” पू, 270 9’ 23.61” उ एवं 920 30’ 47.65” पू, 270 10’ 5.59” उ एवं 920 29’ 40.62” पू, 270 9’ 38.40” उ एवं 920 29’ 2.69” पू, 270 8’ 51.24” उ एवं 920 28’ 29.14” पू, 270 8’ 27.34” उ एवं 920 28’ 8.71” पू, 270 7’ 59.82” उ एवं 920 27’ 37.92” पू तक अभयारण्य के उत्तरी सीमा के साथ जाती है।

500 मीटर त्रिज्या के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल=866.45 हेक्टेयर

पूर्वी सीमा:-

भू-निर्देशांक 270 10’ 3.39” उ एवं 920 35’ 26.20” पू में खुसुम नाला के स्त्रोत में बिंदु से आरंभ होकर, सीमा 1 किलोमीटर पूर्वी दिशा में मुड़ती है, इसके बाद सीमा निम्नलिखित भू-निर्देशांकों 270 9’ 12.51” उ एवं 920 34’ 44.44” पू, 270 9’ 2.19” उ एवं 920 34’ 29.85” पू, 270 8’ 42.69” उ एवं 920 34’ 17.05” पू, 270 8’ 35.64” उ एवं 920 34’ 14.27” पू, 270 8’ 4.81” उ एवं 920 34’ 15.13” पू, 270 7’ 47.91” उ एवं 920 34’ 29.04” पू, 270 6’ 40.69” उ एवं 920 34’ 56.65” पू तक दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद भू-निर्देशांक 270 6’ 48.95” उ एवं 920 34’ 19.16” पू में बिंदु 1 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर जाती है, सेसा आर्किड अभयारण्य की पूर्वी सीमा पर इसके बाद निम्नलिखित भू-निर्देशांकों 270 7’ 37.71” उ एवं 920 33’ 50.43” पू, 270 8’ 22.55” उ एवं 920 33’ 40.90” पू, 270 8’ 36.60” उ एवं 920 33’ 32.05” पू, 270 8’ 48.87” उ एवं 920 33’ 41.10” पू, 270 9’ 9.22” उ एवं 920 33’ 54.40” पू, 270 9’ 31.83” उ एवं 920 34’ 14.75” पू, 270 9’ 55.29” उ एवं 920 34’ 49.71” पू, 270 10’ 3.39” उ एवं 920 35’ 26.20” पू तक सेसा आर्किड अभयारण्य की पूर्वी सीमा के साथ जाती है।

1 किलोमीटर त्रिज्या के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल = 825.92 हेक्टेयर

अनुलग्नक – IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

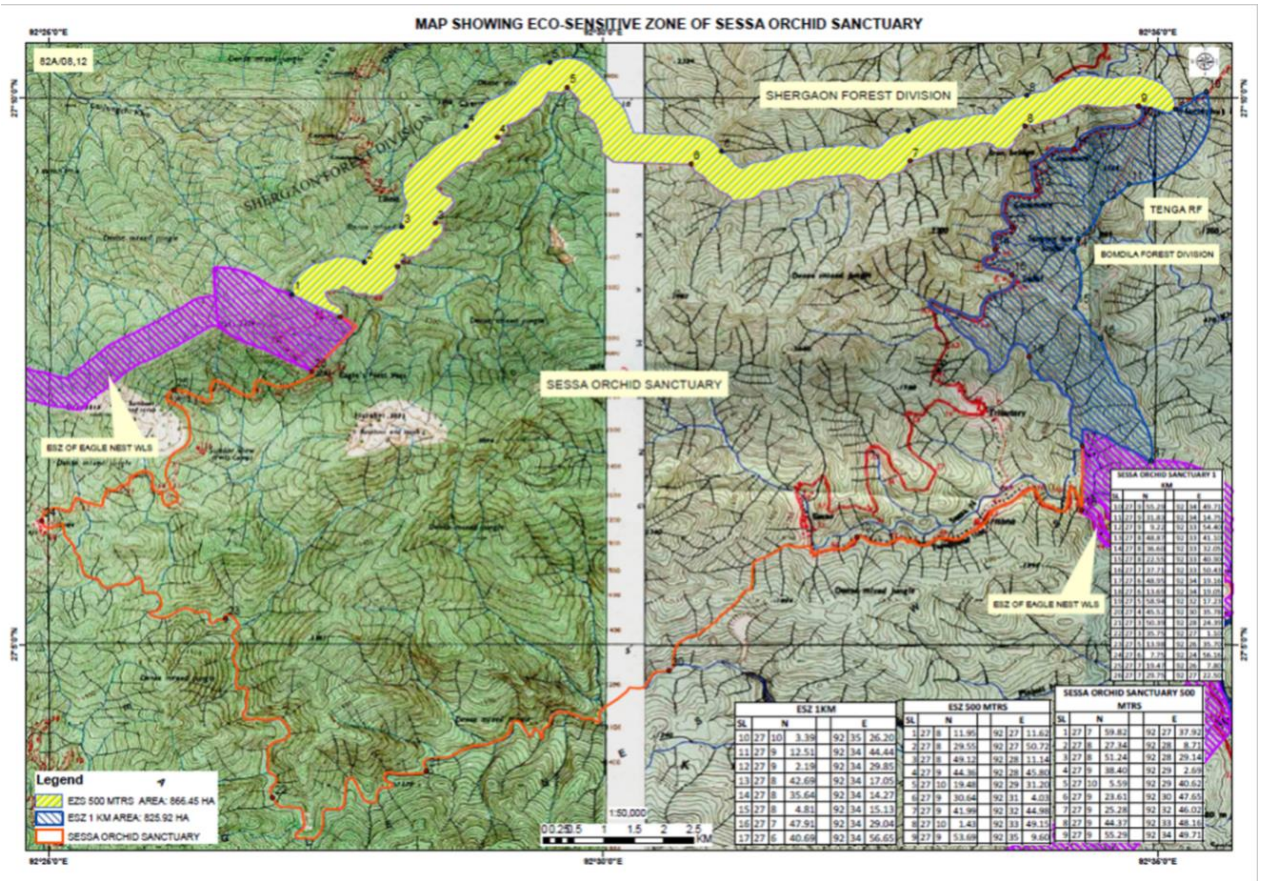

अनुलग्नक – II ख

सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

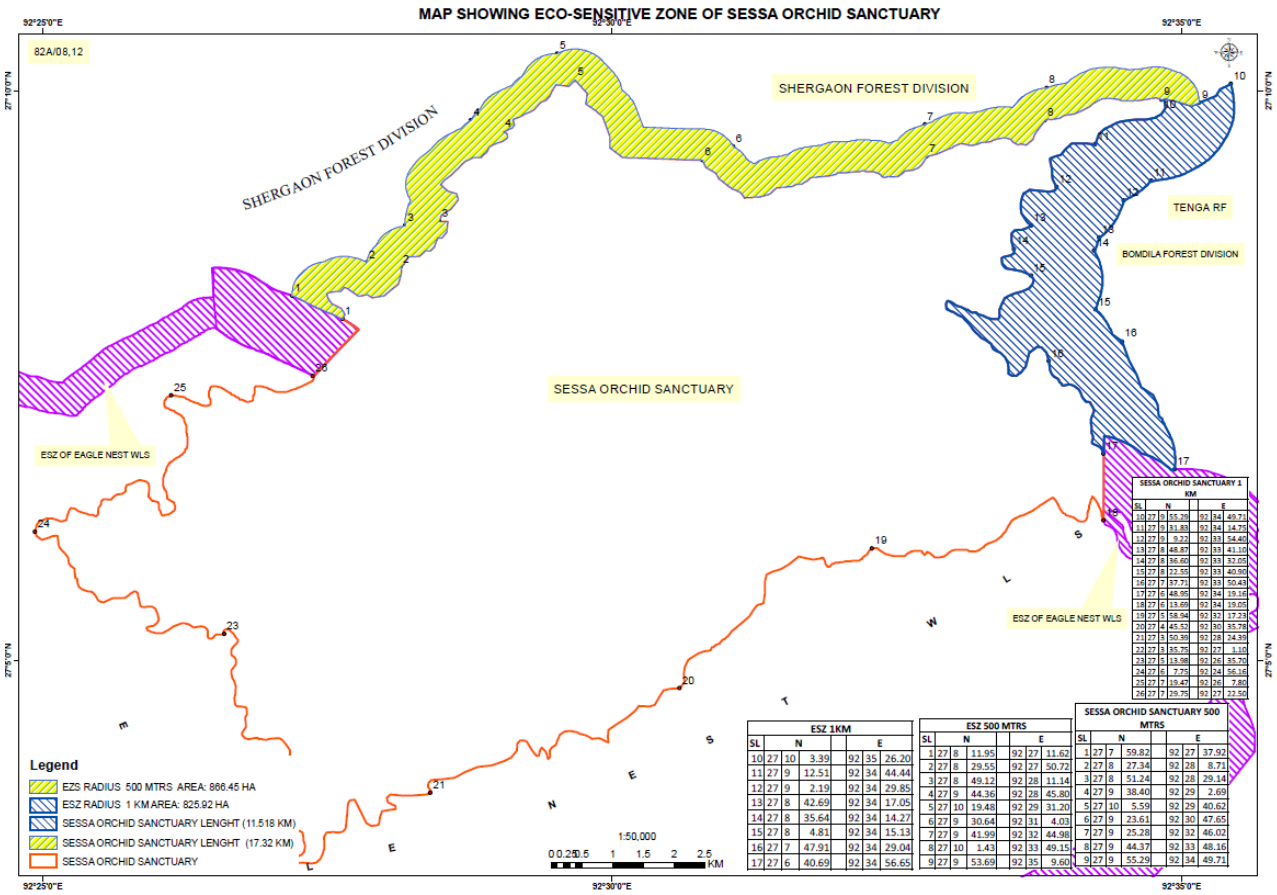

ESZ 1KM

SL	N			E		
10	27	10	3.39	92	35	26.20
11	27	9	12.51	92	34	44.44
12	27	9	2.19	92	34	29.85
13	27	8	42.69	92	34	17.05
14	27	8	35.64	92	34	14.27
15	27	8	4.81	92	34	15.13
16	27	7	47.91	92	34	29.04
17	27	6	40.69	92	34	56.65

ESZ 500 MTRS

SL	N			E		
1	27	8	11.95	92	27	11.62
2	27	8	29.55	92	27	50.72
3	27	8	49.12	92	28	11.14
4	27	9	44.36	92	28	45.80
5	27	10	19.48	92	29	31.20
6	27	9	30.64	92	31	4.03
7	27	9	41.99	92	32	44.98
8	27	10	1.43	92	33	49.15
9	27	9	53.69	92	35	9.60

SESSA ORCHID SANCTUARY 500 MTRS

SL	N			E		
1	27	7	59.82	92	27	37.92
2	27	8	27.34	92	28	8.71
3	27	8	51.24	92	28	29.14
4	27	9	38.40	92	29	2.69
5	27	10	5.59	92	29	40.62
6	27	9	23.61	92	30	47.65
7	27	9	25.28	92	32	46.02
8	27	9	44.37	92	33	48.16
9	27	9	55.29	92	34	49.71

SESSA ORCHID SANCTUARY 1 KM

SL	N			E		
10	27	9	55.29	92	34	49.71
11	27	9	31.83	92	34	14.75
12	27	9	9.22	92	33	54.40
13	27	8	48.87	92	33	41.16
14	27	8	36.60	92	33	32.05
15	27	8	22.55	92	33	40.90
16	27	7	37.71	92	33	50.43
17	27	6	48.95	92	34	19.16
18	27	6	13.69	92	34	19.05
19	27	5	58.94	92	32	17.23
20	27	4	45.52	92	30	35.78
21	27	5	50.39	92	28	34.30
22	27	5	35.75	92	27	1.10
23	27	5	13.98	92	26	35.70
24	27	6	7.75	92	24	56.16
25	27	7	19.47	92	26	7.80
26	27	7	29.75	92	27	22.50

अनुलग्नक – IIग

सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

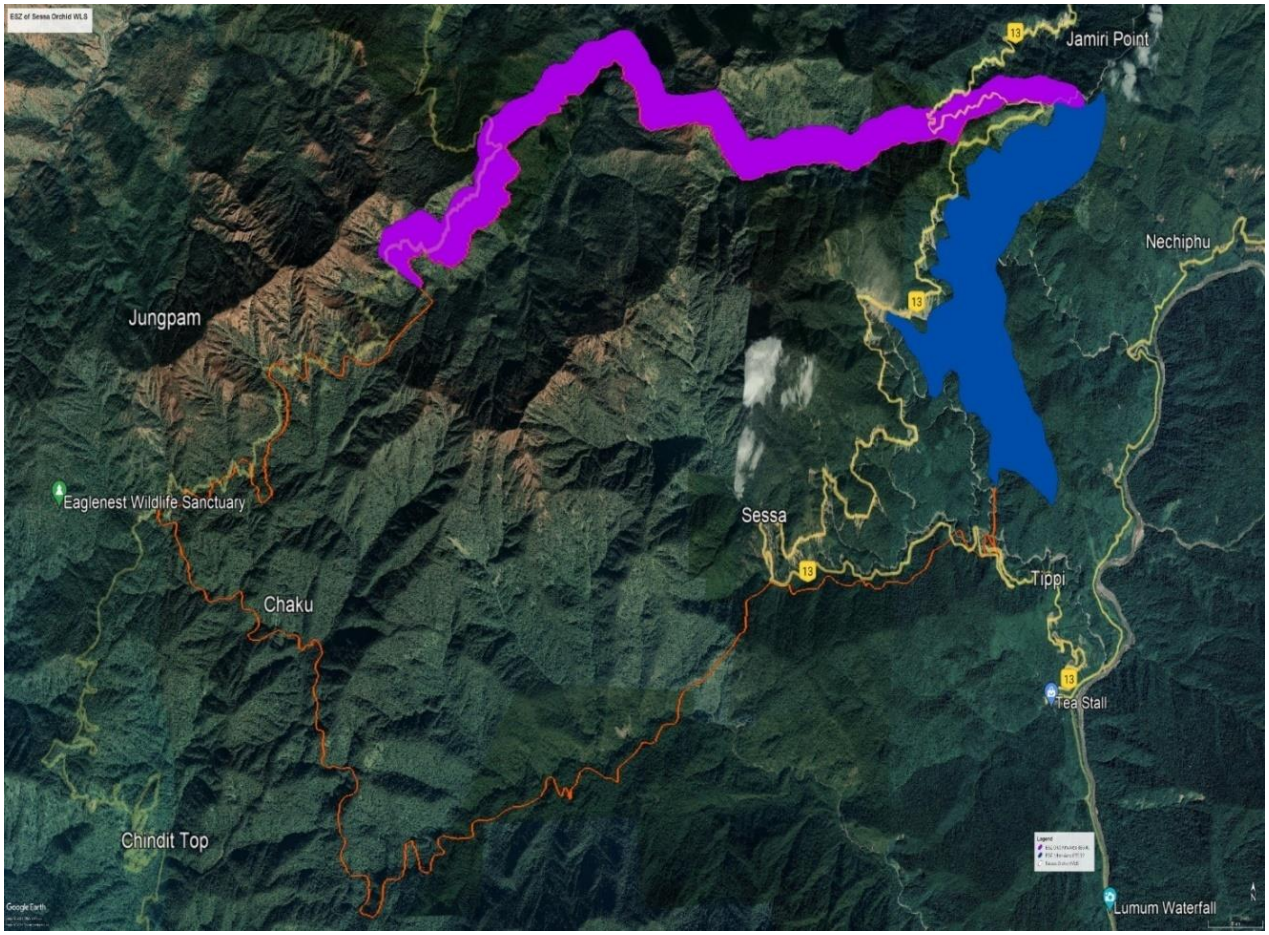

अनुलग्नक -IIघ

सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

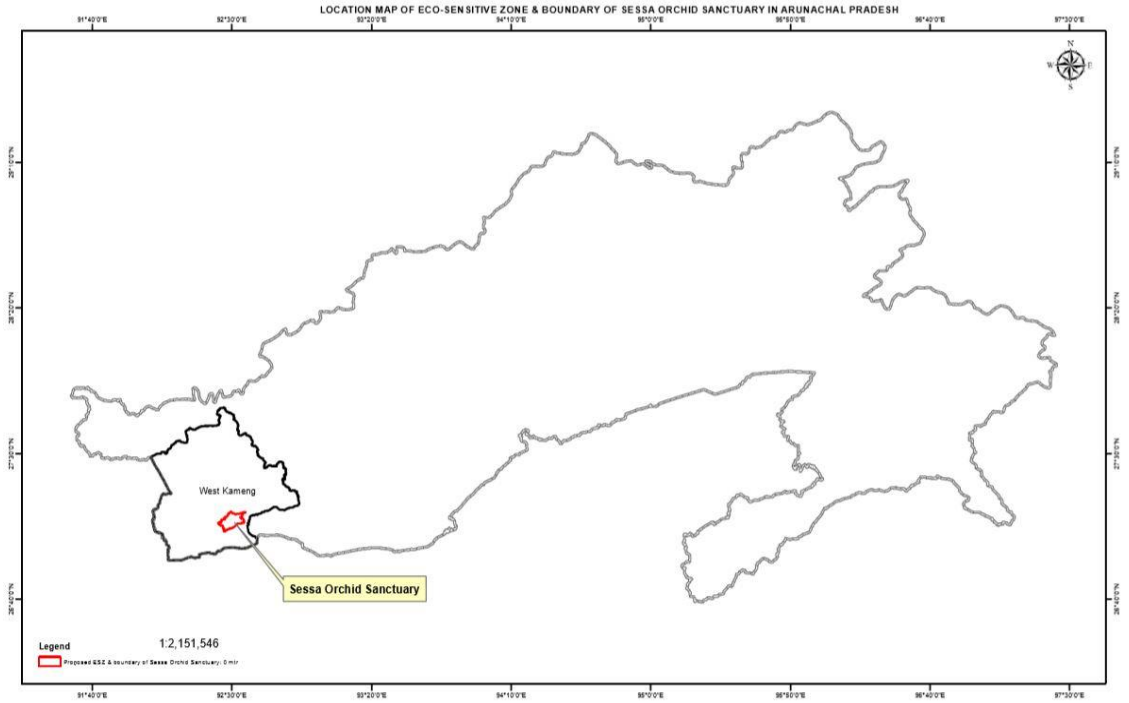

अनुलग्नक -III

सारणी क: सेसा आर्किड अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	27⁰ 7’ 27.901” उ	92⁰ 27’ 35.03”पू
2.	27⁰ 7’ 50.851” उ	92⁰ 27’ 8.44”पू
3.	27⁰ 8’ 13.081” उ	92⁰ 27’ 29.65”पू
4.	27⁰ 8’ 32.482” उ	92⁰ 28’ 12.56”पू
5.	27⁰ 8’ 51.241” उ	92⁰ 28’ 29.14”पू
6.	27⁰ 9’ 10.570” उ	92⁰ 28’ 29.63”पू
7.	27⁰ 9’ 44.824” उ	92⁰ 29’ 7.83”पू
8.	27⁰ 10’ 2.168” उ	92⁰ 29’ 37.51”पू
9.	27⁰ 9’ 25.283” उ	92⁰ 30’ 5.20”पू
10.	27⁰ 9’ 23.872” उ	92⁰ 39’ 35.51”पू
11.	27⁰ 9’ 23.227” उ	92⁰ 30’ 47.74”पू
12.	27⁰ 9’ 3.564”उ	92⁰ 31’ 10.06”पू
13.	27⁰ 9’ 15.001”उ	92⁰ 32’ 30.94”पू
14.	27⁰ 9’ 31.493 उ	92⁰ 33’ 38.35”पू
15.	27⁰ 9’ 52.776” उ	92⁰ 34’ 51.43”पू

16.	27⁰ 8’ 4.801” उ	92⁰ 32’ 54.91”पू
17.	27⁰ 6’ 46.454” उ	92⁰ 34’ 19.97”पू
18.	27⁰ 6’ 45.544” उ	92⁰ 34’ 20.54”पू
19.	27⁰ 6’ 13.950” उ	92⁰ 34’ 18.93”पू
20.	27⁰ 5’ 49.488” उ	92⁰ 31’ 54.20”पू
21.	27⁰ 4’ 49.138” उ	92⁰ 30’ 39.43”पू
22.	27⁰ 4’ 17.008” उ	92⁰ 29’ 58.02”पू
23.	27⁰ 3’ 13.680” उ	92⁰ 27’ 13.89”पू
24.	27⁰ 5’ 10.892” उ	92⁰ 26’ 43.00”पू
25.	27⁰ 5’ 52.368” उ	92⁰ 25’ 13.70”पू
26.	27⁰ 6’ 7.754” उ	92⁰ 24’ 56.15”पू
27.	27⁰ 6’ 13.990” उ	92⁰ 25’ 0.13”पू
28.	27⁰ 6’ 35.251” उ	92⁰ 25’ 51.08”पू
29.	27⁰ 6’ 17.111” उ	92⁰ 26’ 6.42”पू
30.	27⁰ 6’ 40.068” उ	92⁰ 26’ 5.06”पू
31.	27⁰ 7’ 15.020” उ	92⁰ 26’ 4.03”पू
32.	27⁰ 7’ 24.269” उ	92⁰ 26’ 29.04”पू
33.	27⁰ 7’ 24.614” उ	92⁰ 26’ 52.34”पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं .	अक्षांश	देशांतर	
1	27˚8'11.95" उ	92˚27'11.62" पू	पारिस्थितिकी संवेदी जोन 500 मीटर
2	27˚8'29.55" उ	92˚27'50.72" पू	
3	27˚8'49.12" उ	92˚28'11.14" पू	
4	27˚9'44.36" उ	92˚28'45.80" पू	
5	27˚10'19.48" उ	92˚29'31.20" पू	
6	27˚9'30.64" उ	92˚31'4.03" पू	
7	27˚9'41.99" उ	92˚32' 44.98" पू	
8	27˚10'1.43" उ	92˚33'49.15" पू	
9	27˚9'53.69" उ	92˚35'9.60" पू	
10	27˚10'3.39" उ	92˚35'26.2" पू	पारिस्थितिकी संवेदी जोन 1 किलोमीटर
11	27˚9'12.51" उ	92˚34'44.44" पू	
12	27˚9'2.19" उ	92˚34'29.85" पू	
13	27˚8'42.69" उ	92˚34'17.05" पू	
14	27˚8'35.64" उ	92˚34'14.27" पू	

15	27˚8'4.81" उ	92˚34'15.13" पू	
16	27˚7'47.91" उ	92˚34'29.04" पू	
17	27˚6'40.69" उ	92˚34'56.65" पू	

अनुलग्नक -IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2022

S.O. 1567(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sessa Orchid Wildlife Sanctuary is spread over an area of 100 square kilometers and situated in West Kameng District of Arunachal Pradesh;

AND WHEREAS, the Sessa Orchid Wildlife Sanctuary was given the status of Wildlife Sanctuary with effect from the 19th July, 1982 *vide* notification no. FOR.32/IND-1/82/17706-45;

AND WHEREAS, the Sessa Orchid Sanctuary is known for indigenous Orchids available in the region. The Sanctuary plays an important role in protection, conservation of Orchids and development of in-situ Orchids. It also helps in protection of wildlife and the rich biodiversity found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, the important tree species found in the top and middle storey in the Sessa Orchid Wildlife Sanctuary are *Terminelia myriocarpa* (Hollock), *Phoebe goalparensis* (Bonsum), *Amora wallichii* (Amari), *Ailanthus grandis* (Borpat), *Alstonia scholaris* (Satiana), *Pterospermum acerifolium* (Hatipoila), *Artocarpus chaplasa* (samkathal), *Mesua ferrea* (Nahar), *Michelia champaca* (Titasopa), *Altingia excela* (Jutuli), *Magnolia* species (Sopa), *Chakrasia tabularis* (Bogipoma), *Toona ciliata* (Poma), *Sterculia villosa* (Udal), *Castenopsis* species (Hingori), *Terminelia chebula* (Hilika), *Canarium resniniferum* (Dhuna), *Cinnamomum cesicodaphne* (Gonsoroi), *Gmelina arboria* (Gamari), *Kydia calycina* (Pichola), *Terminelia belerica* (Bohera) ,etc;

AND WHEREAS, the common associated in the Middle Storey and undergrowth present in the Sessa Orchid Sanctuary include *Dillinia indica* (Owtenga), *Syzygium cuminii* (Jamun), *Albizia lucida* (Moj), *Lagestroemia* species (Ajar), *Biscofia javanica* (Uriam), etc. *Clerodendrum viscosum*, *Laportia* species, *Costus* species, *Eupethorium odoretum*, *Coffea bangalensis*, *Alpinia* species, *Azeratum conizoides*, *Hibiscus cannnabinus*, *Polygonum chinensis*, *Oxyspora paniculata*, *Phyllanthus* Species, *Solanum toryum*, etc;

AND WHEREAS, the major fauna found in the area are *Macaca mulatta* (Rhesus macaque), *Macaca assamensis* (Assamese macaque), *Trachpithecus pileatus (*Capped langur), *Muntiacus muntjake* (Barking deer or Indian muntjac), *Cervus unicolor* (Sambar), *Naemorhedus sumatraensis* (Serow), *Sus scrofa* (Wild boar), *Elephas maximus* (Asiatic elephant), *Ursus thibitanus* (Asiatic black bear), *Cuon alpines* (Wild dog), *Panthara tigris* (Tiger), *Panther pardus* (Common leopard), *Neofelis nebulosa* (Clouded leopard), *Pardofelis marmorata* (Marbled cat), *Felis chaus* (Jungle cat), *Prionailurus bengalensis* (Leopard cat), *Prionailurus viverrinus* (Fishing cat), *Melogale personata* (Ferret badger), *Paradoxurus hermaphrodites* (Common palm civet), *Martes flavigula* (Yellow throated marten), *Herpestes javanicus* (Small Asian mongoose), *Harpestes edwardsii* (Grey mongoose), *Manis pentadactyla* (Chinese pangolin), *Eurosaptor micrura* (Mole), *Hystrix brachyuran* (Himalaya crestless squirrel), *Ratufa bicolor (*Malayan giant squirrel), *Callosciurus pygerythrus (*Hoary bellied Himalayan squirrel), *Callosciurus erythraeus (*Pallas's squirrel), *Dremomyslokriah (*Orange-belied Himalayan squirrel), *Mus Pahari* (Sikkim Mouse), Bats of Micro and Mega chiroptera group etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Sessa Orchid Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from Zero (0) to 1 kilometres around the boundary of Sessa Orchid Wildlife Sanctuary, in the State of Arunachal Pradesh as the Sessa Orchid Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1)The Eco-sensitive Zone shall be to the extent of 0 to 1 kilometres around the boundary of Sessa Orchid Wildlife Sanctuary of the Eco-sensitive Zone is 16.9237 square kilometres. The extents of Eco-senstive zone in different directions are as follows:

Directions	**Extent**
North	0.50 km
North-East	0.50 km
East	1 km
South-East	0
South	0
South –West	0
West	0
North- West	0

The extent of Eco-sensitive Zone is zero on Southern and Western direction bordering Eagle Nest Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone.

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone around Sessa Orchid Wildlife Sanctuary is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Sessa Orchid Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID.**

(4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Sessa Orchid Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) There are no villages falling under the Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. -(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

i. Environment;
ii. Forest and Wildlife;
iii. Agriculture;
iv. Revenue;
v. Urban Development;
vi. Tourism;
vii. Rural Development;
viii. Irrigation and Flood Control;
ix. Municipal;
x. Panchayat Raj; and
xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or

residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.-**(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -**Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-**Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-**Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-**Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–**Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management.-**The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-**The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.-**Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) **Industrial units.–** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Establishment of large-scale	Prohibited.

	commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	
9.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/ processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment / hospitals etc. is prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specified requirement, it shall be regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain Water Harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner, West Kameng District, Bomdila, Arunachal Pradesh	Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of Environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Member Secretary, State Biodiversity Board	Member;
(iv)	Representative from Urban Development Department, West Kameng District, Bomdila, Arunachal Pradesh	Member;
(v)	Representative from Public Works Department, West Kameng District, Bomdila, Arunachal Pradesh	Member;
(vi)	Representative from Rural Works Department, West Kameng District, Bomdila, Arunachal Pradesh	Member;
(vii)	An expert in the area of Ecology and Environment from reputed institution or university of the State	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Khellong Forest Division incharge of Sessa Orchid Sanctuary, Sessa	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at

Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders. -The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/8/2021-ESZ]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY

Directions	Description
North	Starting from the point named Eaglenest at Cheku Tenga road alt.2781 follows the road towards Norther upto 68km.point at Chaku Tenga road (at GR 891443) where a tributary upto its confluence with Dogongkho at GR 900459.Thence downstream of Dogongkho Nallah upto its confluence with another unnamed stream upto its source at GR 919445.Thence the boundary follows & artificial straight line about 90' for a distance of 200 mtr.i.e.upto the source of a tributary of Dji nallah at GR 920445.Thence along the downstream of that tributary and Diji nallah upto a bridge on Bomdila Bhalukpong road at GR 966453.Thence along the BomdilaBhalukpong road towards East upto 'O' point i.e. junction point of Seppa road.
East	Thence along the Bomdila, Bhalukpong road in South-West wards till it crosses the tributary of Sessa Nallah at GR 956425.Thence along downstream of that tributary upto its confluence with Sessa Nallah. Thence the boundary follows an artificial straight line about 180˚ for a distance of 1 km. approx. till it crosses the Bhalukpong Bomdila road at GR 979390.
South	Thence along the road west wards upto GR 740383.Thence the boundary follows an artificial straight line about 225˚ for a distance of 4.7kms.approx. i.eupto the confluence of a tributary of Tipi nallah its source at GR 829382.Thence an artificial straight line about 315˚ for a distance of 0.75 km.i.e.upto chaku at GR 825385.
West	Thence the boundary follows along the Chaku - Tenga road North East wards upto the starting point.

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY

Northern Boundaries :-

Starting on the north-western boundary of Sessa Orchid Sanctuary, the boundary of ESZ starts at a point at geo co-ordinates 27^0 7' 59.82" N & 92^0 27' 37.92" E, on source of Dogonng kha (river) towards west for 500 mtrs upto a point at geo co-ordinates 27^0 8' 11.95" N & 92^0 27' 11.62" E, on the north-west boundary of ESZ of Sessa Orchid Sanctuary then towards north & north-easterly direction following the geo co-ordinates 27^0 8' 29.55" N & 92^0 27' 50.72" E, 27^0 8' 49.12" N & 92^0 28' 11.14" E, 27^0 9' 44.36" N & 92^0 28' 45.80" E, 27^0 10' 19.48" N & 92^0 29' 31.20" E, 27^0 6' 30.64" N & 92^0 31' 4.03" E, 27^0 9' 41.99" N & 92^0 32' 44.98" E, 27^0 10' 1.43" N & 92^0 33' 49.15" E, upto 27^0 9' 53.69" N & 92^0 35' 9.60" E. Then towards west 500 mtrs upto the boundary of Sessa Orchid Sanctuary at geo co-ordinates 27^0 9' 55.29" N & 92^0 34' 49.71" E, then along the northern boundary of Sanctuary following geo co-ordinates 27^0 9' 44.37" N & 92^0 33' 48.16" E, 27^0 9' 25.28" N & 92^0 32' 46.02" E, 27^0 9' 23.61" N & 92^0 30' 47.65" E, 27^0 10' 5.59" N & 92^0 29' 40.62" E, 27^0 9' 38.40" N & 92^0 29' 2.69" E, 27^0 8' 51.24" N & 92^0 28' 29.14" E, 27^0 8' 27.34" N & 92^0 28' 8.71" E, upto 27^0 7' 59.82" N & 92^0 27' 37.92" E,

Area of ESZ with 500 mtrs radius =866.45 Ha.

Eastern Boundary:-

Starting from a point at the source of Khusum Nallah at geo co-ordinates 27^0 10' 3.39" N & 92^0 35' 26.20" E, the boundary moves in easterly direction for 1 km then the boundary runs southerly direction following geo co-ordinates 27^0 9' 12.51" N & 92^0 34' 44.44" E, 27^0 9' 2.19" N & 92^0 34' 29.85" E, 27^0 8' 42.69" N & 92^0 34' 17.05" E, 27^0 8' 35.64" N & 92^0 34' 14.27" E, 27^0 8' 4.81" N & 92^0 34' 15.13" E, 27^0 7' 47.91" N & 92^0 34' 29.04" E, upto 27^0 6' 40.69" N & 92^0 34' 56.65" E. Then towards west for 1 km upto a point at geo co-ordinates 27^0 6' 48.95" N & 92^0 34' 19.16" E, on eastern boundary of Sessa Orchid Sanctuary then along the eastern boundary of Sessa Orchid Sanctuary following geo co-ordinates 27^0 7' 37.71" N & 92^0 33' 50.43" E, 27^0 8' 22.55" N & 92^0 33' 40.90" E, 27^0 8' 36.60" N & 92^0 33' 32.05" E, 27^0 8' 48.87" N & 92^0 33' 41.10" E, 27^0 9' 9.22" N & 92^0 33' 54.40" E, 27^0 9' 31.83" N & 92^0 34' 14.75" E, upto 27^0 9' 55.29" N & 92^0 34' 49.71" E, at geo co-ordinates 27^0 10' 3.39" N & 92^0 35' 26.20" E

Area of ESZ with 1km radius = 825.92 Ha.

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

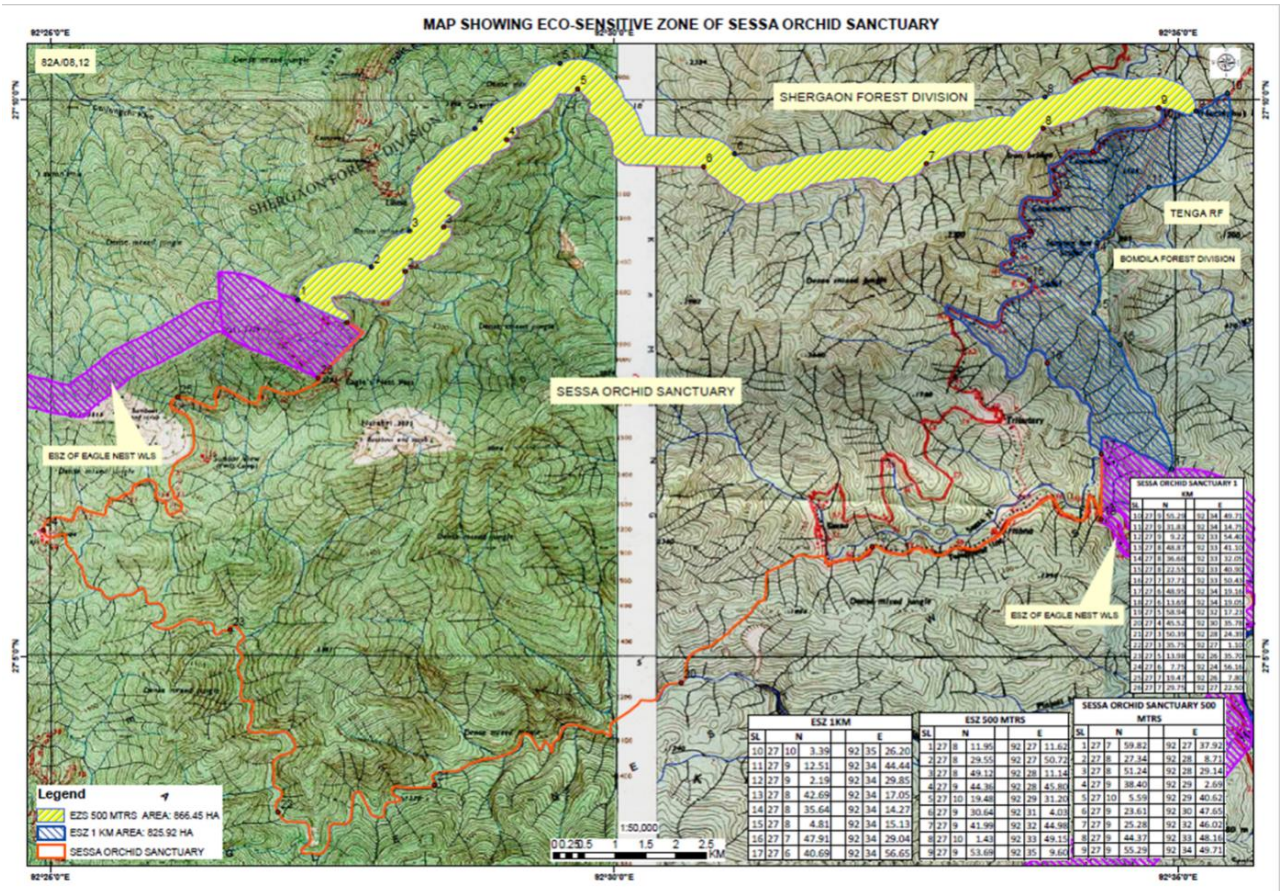

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY

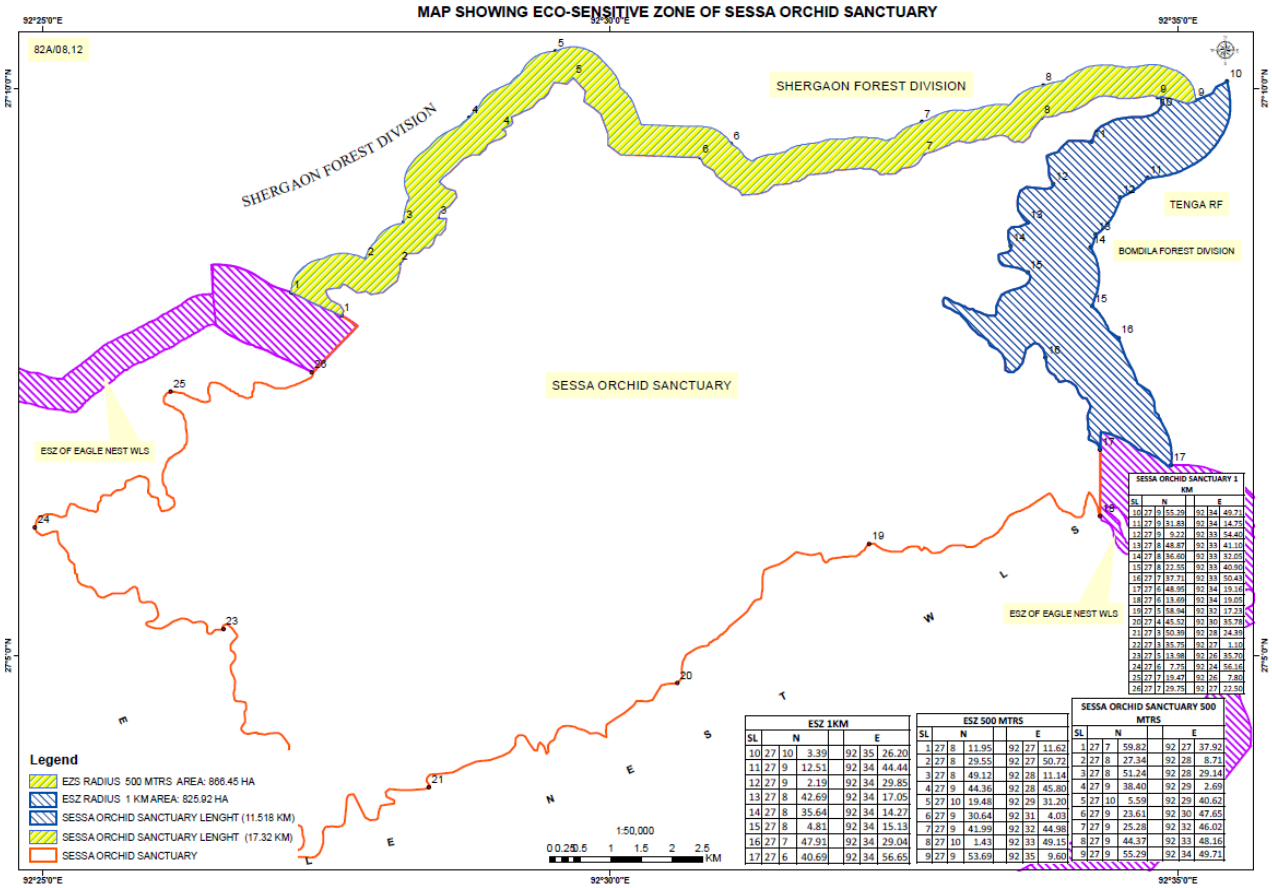

SESSA ORCHID SANCTUARY 1 KM						
SL	N			E		
10	27	9	55.29	92	34	49.71
11	27	9	51.83	92	34	14.75
12	27	9	9.22	92	33	54.40
13	27	8	48.87	92	33	41.10
14	27	8	36.60	92	33	32.05
15	27	8	22.55	92	33	40.90
16	27	7	37.71	92	33	50.43
17	27	6	48.95	92	34	19.16
18	27	6	13.69	92	34	19.05
19	27	5	58.94	92	33	17.33
20	27	4	45.52	92	30	35.78
21	27	3	50.39	92	28	34.39
22	27	3	35.75	92	27	1.10
23	27	5	13.98	92	26	35.20
24	27	6	7.75	92	24	56.16
25	27	7	19.47	92	26	7.80
26	27	7	29.75	92	27	22.50

ESZ 1KM						
SL	N			E		
10	27	10	3.39	92	35	26.20
11	27	9	12.51	92	34	44.44
12	27	9	2.19	92	34	29.85
13	27	8	42.69	92	34	17.05
14	27	8	35.64	92	34	14.27
15	27	8	4.81	92	34	15.13
16	27	7	47.91	92	34	29.04
17	27	6	40.69	92	34	56.65

ESZ 500 MTRS						
SL	N			E		
1	27	8	11.95	92	27	11.62
2	27	8	29.55	92	27	50.72
3	27	8	49.12	92	28	11.14
4	27	9	44.36	92	28	45.80
5	27	10	19.48	92	29	31.20
6	27	9	30.64	92	31	4.03
7	27	9	41.99	92	32	44.98
8	27	10	1.43	92	33	49.15
9	27	9	53.69	92	35	9.60

SESSA ORCHID SANCTUARY 500 MTRS						
SL	N			E		
1	27	7	59.82	92	27	37.92
2	27	8	27.34	92	28	8.71
3	27	8	51.24	92	28	29.14
4	27	9	38.40	92	29	2.69
5	27	10	5.59	92	29	40.62
6	27	9	23.61	92	30	47.65
7	27	9	25.28	92	32	46.02
8	27	9	44.37	92	33	48.16
9	27	9	55.29	92	34	49.71

ANNEXURE- IIC

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY

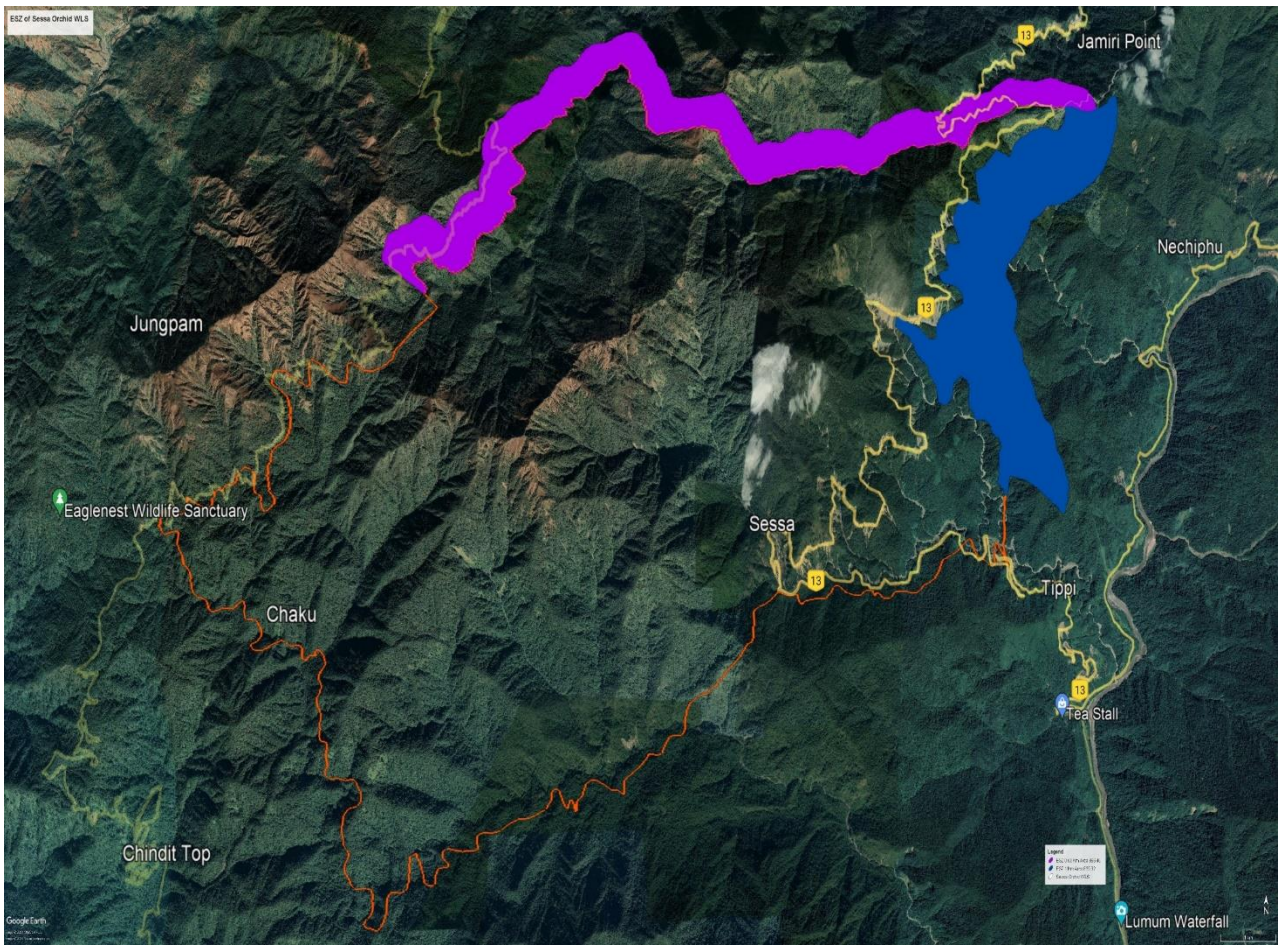

ANNEXURE- IID

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SESSA ORCHID WILDLIFE SANCTUARY

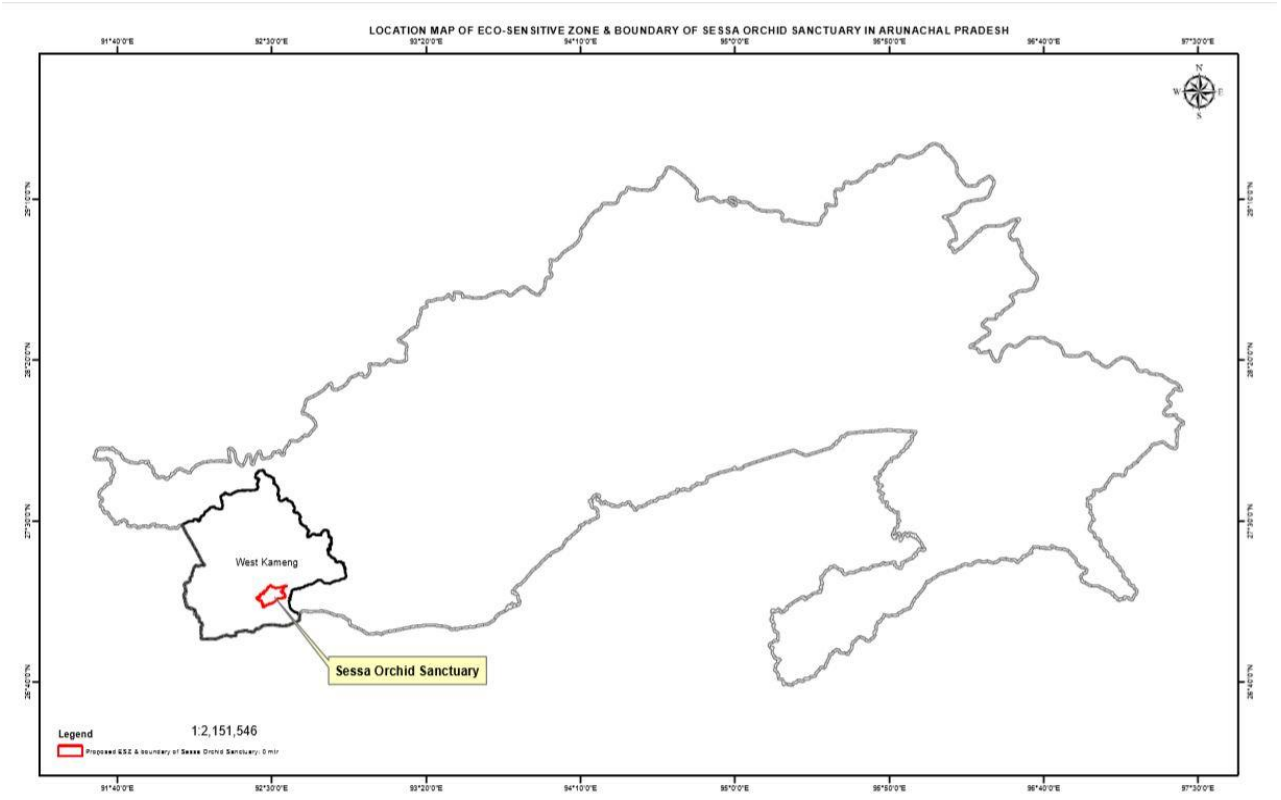

ANNEXURE- III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SESSA ORCHID SANCTUARY

SI. No.	Latitude	Longitude
1.	27^0 7’ 27.901” N	92^0 27’ 35.03”E
2.	27^0 7’ 50.851” N	92^0 27’ 8.44”E
3.	27^0 8’ 13.081” N	92^0 27’ 29.65”E
4.	27^0 8’ 32.482” N	92^0 28’ 12.56”E
5.	27^0 8’ 51.241” N	92^0 28’ 29.14”E
6.	27^0 9’ 10.570” N	92^0 28’ 29.63”E
7.	27^0 9’ 44.824” N	92^0 29’ 7.83”E
8.	27^0 10’ 2.168” N	92^0 29’ 37.51”E
9.	27^0 9’ 25.283” N	92^0 30’ 5.20”E
10.	27^0 9’ 23.872” N	92^0 39’ 35.51”E
11.	27^0 9’ 23.227” N	92^0 30’ 47.74”E
12.	27^0 9’ 3.564”N	92^0 31’ 10.06”E
13.	27^0 9’ 15.001”N	92^0 32’ 30.94”E
14.	27^0 9’ 31.493 N	92^0 33’ 38.35”E
15.	27^0 9’ 52.776” N	92^0 34’ 51.43”E
16.	27^0 8’ 4.801” N	92^0 32’ 54.91”E
17.	27^0 6’ 46.454” N	92^0 34’ 19.97”E
18.	27^0 6’ 45.544” N	92^0 34’ 20.54”E
19.	27^0 6’ 13.950” N	92^0 34’ 18.93”E
20.	27^0 5’ 49.488” N	92^0 31’ 54.20”E
21.	27^0 4’ 49.138” N	92^0 30’ 39.43”E
22.	27^0 4’ 17.008” N	92^0 29’ 58.02”E
23.	27^0 3’ 13.680” N	92^0 27’ 13.89”E
24.	27^0 5’ 10.892” N	92^0 26’ 43.00”E
25.	27^0 5’ 52.368” N	92^0 25’ 13.70”E
26.	27^0 6’ 7.754” N	92^0 24’ 56.15”E
27.	27^0 6’ 13.990” N	92^0 25’ 0.13”E
28.	27^0 6’ 35.251” N	92^0 25’ 51.08”E
29.	27^0 6’ 17.111” N	92^0 26’ 6.42”E
30.	27^0 6’ 40.068” N	92^0 26’ 5.06”E
31.	27^0 7’ 15.020” N	92^0 26’ 4.03”E
32.	27^0 7’ 24.269” N	92^0 26’ 29.04”E
33.	27^0 7’ 24.614” N	92^0 26’ 52.34”E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO- SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Latitude	Longitude	
1	27˚8'11.95" N	92˚27'11.62" E	ESZ 500 MTRS
2	27˚8'29.55" N	92˚27'50.72" E	
3	27˚8'49.12" N	92˚28'11.14" E	
4	27˚9'44.36" N	92˚28'45.80" E	
5	27˚10'19.48" N	92˚29'31.20" E	
6	27˚9'30.64" N	92˚31'4.03" E	
7	27˚9'41.99" N	92˚32' 44.98" E	
8	27˚10'1.43" N	92˚33'49.15" E	
9	27˚9'53.69" N	92˚35'9.60" E	
10	27˚10'3.39" N	92˚35'26.2" E	ESZ 1 KM
11	27˚9'12.51" N	92˚34'44.44" E	
12	27˚9'2.19" N	92˚34'29.85" E	
13	27˚8'42.69" N	92˚34'17.05" E	
14	27˚8'35.64" N	92˚34'14.27" E	
15	27˚8'4.81" N	92˚34'15.13" E	
16	27˚7'47.91" N	92˚34'29.04" E	
17	27˚6'40.69" N	92˚34'56.65" E	

ANNEXURE –IV

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act,1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.04 23:16:12 +05'30'